न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–II (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र संख्या/2020/99

1. कमला देवी पत्नी श्री रामप्रताप, जाति मीणा उम्र 55 वर्ष
2. मंजू मीणा पुत्री श्री रामप्रताप, जाति मीणा उम्र 36

समस्त निवासीगण – ग्राम पालणी मीणा, पटवार हल्का लुनियावास, आगरा रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री गोपाल लाल, जाति मीणा
2. रमेश पुत्र श्री रामप्रताप, जाति मीणा
3. राकेश पुत्र श्री रामप्रताप, जाति मीणा

समस्त निवासीगण – ग्राम पालणी मीणा, पटवार हल्का लुनियावास, आगरा रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

4. दिनेश अग्रवाल पुत्र श्री के.आर अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी–5, कविता विहार, पालणी मीणा, आगरा रोड, जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर कार्यालय सांगानेर तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एंव धारा 151 सी0 पी0 सी0

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

निर्णय दिनांक– 07/04/2021

प्रार्थना–पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण की ओर से जरिये अभिभाषक इस आशय के साथ पेश किया गया है कि प्रार्थीया संख्या 01 व 02 तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 एक ही परिवार के सदस्य है तथा स्व0 श्री गोपाल लाल मीणा के पैतृक वारिसान है। गोपाल लाल मीणा के बाबूलाल व रामप्रताप दो पुत्र हुये, जिनका राजस्व रिकॉर्ड में विरास्त नामान्तरण के मुताबिक बराबर हिस्सा दर्ज हुआ। रामप्रताप मीणा का भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:13:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

देहान्त हो चुका है, जिनके जीवित वारिसान में उनकी पत्नी प्रार्थी संख्या 01 व पुत्री प्रार्थी संख्या 02 एवं दो पुत्र अप्रार्थी संख्या 03 व 04 है। ग्राम पालणी मीणा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नंबर 317 रकबा 0.66 हैक्टियर स्व0 गोपाल लाल मीणा की खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि है। जिनके फोत होने के बाद उक्त आराजीयात का विरासत का नामान्तरण उनके पुत्रान् बाबूलाल अप्रार्थी संख्या 01 व रामप्रताप मीणा जोकि प्रार्थी संख्या 02 व अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 01 के पति है, के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अलम दरामद हुआ। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 की पुश्तेनी एवं पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त शुदा कृषि भूमि है। स्व0 श्री गोपाल लाल मीणा के जीवनकाल से आज तक उनके वारिसान अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 व प्रार्थीगण की कब्जा काश्त में है। जिसका राजस्व लगान संयुक्त रूप से एकत्रित करके राज्य सरकार को जमा करवाते आ रहे है जो वर्णित खसरा नंबर 317 की भूमि वाद अधीन सम्पत्ति है। वाद अधीन भूमि का फोतेदगी नामान्तरण अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के नाम दर्ज हो गया। जबकि स्व0 श्री रामप्रताप के प्रथम श्रेणी वारिसान में उनकी पत्नी व पुत्री जो जिवित है का नाम भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए था। किन्तु राजस्व अधिकारी द्वारा बिना वारिसान की जॉच किये और मौके पर कब्जा की जॉच किये बिना नामान्तरण केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के नाम से तस्दीक कर खातेदारी में उनका नाम दर्ज कर दिया। राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण नाम दर्ज होने की वजह से अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 अप्रार्थी संख्या 04 के साथ मिलीभगत कर दिनांक 05.11.2020 को मौके पर पहुँचे और वाद अधीन कृषि भूमि की नाप जोख करने लगे जिसका प्रार्थीगण ने विरोध किया तो अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि वह उक्त आराजीयात पर आवासीय कॉलोनी काटेंगे और भूखण्ड बेचान करेंगे। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में स्थापित प्रावधानो के तहत मृतक खातेदार के पुत्र व पुत्री तथा पत्नी का मृतक की समस्त चल व अचल सम्पत्ति में बराबर बराबर हक व हिस्सा निहित होता है और उक्त प्रावधानो के तहत प्रार्थीगण का रामप्रताप की मृत्यु के पश्चात वाद अधीन भूमि में हक–हिस्सा व अधिकार उत्पन्न होकर ... हो चुके है। अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 द्वारा ... जरिये नामान्तरण अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के नाम स्व0 रामप्रताप ... हिस्से की जमीन का इन्द्राज करवाया है वह अवैध है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादकरण दिनांक 05.11.2020 को दीगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:13:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

व्यक्तियों के साथ अप्रार्थी संख्या 01 ता 04 द्वारा जमीन की नाप जोख करनें एवं उसपर आवासीय कॉलोनी बसाने की धमकी देने एवं दिनांक 09.11.2020 को जमाबन्दी व नक्शा की नकल प्राप्त करने से उत्पन्न होकर आज दिनांक तक निरन्तर जारी रहने से वाद पत्र मय स्टे प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण आपस में साक्ष करते हुये प्रार्थीगण को बाहूबल के आधार पर वाद अधीन कृषि भूमि से बिना विधिक विभाजन करवाये खुर्द बुर्द एवं हस्तान्तरण करने पर तुले हुये है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की प्राप्त करने की अधिकारी है कि राजस्व ग्राम पालणी मीणा, पटवार हल्का लुनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 317 रकबा 0.66 हैक्टियर में प्रार्थीगण का वारिसान के क्रम अनुसार हक व हिस्सा है। इसलिये कृषि भूमि वाद अधीन सम्पूर्ण एवं उसके किसी भी भाग को अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से विक्रय हस्तान्तरण, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज, भू—रूपान्तरण, इत्यादि करने से निषेध रहे तथा वाद अधीन भूमि में प्रार्थीगण के शान्ति पूर्ण कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग में, अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट या मजाहमत पेदा ना करे, ना तो अप्रार्थीगण स्वंय ऐसा करे और ना ही अपने किसी ऐजेन्ट, सर्वेन्ट, मुख्त्यार आदि से ऐसा करवाये। मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ नकल वर्तमान जमाबंदी, नकल गत जमाबंदी, नकल आधार कॉर्ड, नकल राशन कार्ड पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 जरिये अभिभाषक उपस्थित आयें। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने ... उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। ... दस्तावेजात पेश

अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र ... 2 व 3 के पिता किया गया जिसमें अंकित है कि अप्रार्थी नं. 1 व अप्रार्थी नं. 2 व 3 के पिता रामप्रताप ने अपने नाम दर्ज उक्त भूमि को जरिये विक्रय इकरारनामा दिनांक 25.06.1990 एवं 12.08.1995 द्वारा रामराजपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:13:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया था उक्त समिति ने उक्त भूमि को अपने सदस्यो में वितरित कर दिया था मिन अप्रार्थी भी उक्त समिति के सदस्यो के रूप में इस भूमि पर विकसीत कविता विहार कॉलोनी में सन् 1995 में भूखण्ड लिया था साथ ही मिन अप्रार्थी के परिवार के अन्य सदस्यो ने भी उक्त कविता विहार में उक्त सोसायटी से भूखण्ड क्रय किये थे मिन अप्रार्थी ने उकत सोसायटी से भूखण्ड नं. 5 कुल क्षेत्रफल 596 वर्गगज क्रय किया था तथा मौके पर निर्माण किया था तथा मौकें पर एक भी इन्दिरा बाल शिक्षा निकेतन माध्यमिक विद्यालय का भी पुख्ता भवन बना लिया था जिस स्कूल का निदेशक मिन अप्रार्थी है जिसमें उस समय से ही नल, बिजली कनेक्शन लगे हुए है वर्तमान में उक्त सम्पूर्ण भूमि नगर निगम जयपुर की आबादी भूमि में आती है तथा इसी आधार पर नगर निगम सन् 2003 से लेकर आज तक मिन अप्रार्थी से नगरीय विकास कर प्राप्त कर रहा है। इतने सारे तथ्य, निर्माण स्कूल संचालन चुपचाप नही हो सकते है इस सभी तथ्यो की प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं. 1 व 3 को भलीभांति जानकारी है पूर्व में अप्रार्थी नं. 1 से 3 ने मिन अप्रार्थी के निर्माण व स्कूल संचालन को अतिक्रमण बताकर उसे हटाने बाबत् एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर को भेजा था जिन्होने सुनवाई हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवा दिया जहां तहसीलदार सांगानेर ने पटवारी की रिपोर्ट लेकर प्रकरण को धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज कर उभय पक्षों को नोटिस दिया जहां मिन अप्रार्थी ने भी अपना जवाब प्रस्तुत किया जिस पर दोनो पखो की सुनवाई के बाद तहसीलदार महोदय ने अपने निर्णय दिनांक 28.06.2016 द्वारा मौके पर स्कूल संचालन होना व भूमि सोसायटी को विक्रय हो जाना मानते हुए खारिज कर दिया था तत्पश्चात अप्रार्थी नंबर 1 से 3 ने एक दीवानी वाद सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) नं. 20 सांगानेर में बाबत् घोषणा, निरस्त किये जाने इकरारनामा दिनांक 12.08.1995 प्रस्तुत किया जिसमें उक्त न्यायालय ने हाल अप्रार्थी नंबर 1 से 3 का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया जिसकी सिविल विधिक अपील भी हाल अप्रार्थी नं. 1 से 3 ने न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 10 हाल नं. 1 [illegible] में प्रस्तुत कर रखी है अर्थात अप्रार्थी नं. 1 से 3 द्वारा सोसायटी [illegible] गया विक्रय इकरारनामा स्वयं पक्षकारों ने माना हुआ है तथा [illegible] न्यायालय में वाद विचाराधीन है फिर भी हाल प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 3 से दुःसन्धि कर सारे वास्तविक तथ्यो को छिपाकर न्यायालय श्रीमान से धोखा कारित करते हुए मिथ्या तथ्यो पर यह वाद प्रस्तुत किया है जो कि प्रथम दृष्टया ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:13:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

खारिज होने योग्य है। चूंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं. 1 से 3 की आपस में दुःसंधि है अन्यथा विरासत नामान्तकरण को इतने वर्ष बाद चेलेन्ज नही किया जाता पूर्व की विरासत कार्यवाही कानूनन सक्षम राजस्व अधिकारियो ने सही रूप से की है जहां तक कानूनी प्रश्न है तो यह भी सुस्थापित सिद्वान्त है कि अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है तथा मीणा जाति में पुरूष वारिस के होते हुए स्त्री वारीसों को विरासत प्राप्त नही होती है ऐसे में राजस्व रिकॉर्ड पूर्णतया सही था तथा अप्रार्थी नं. 1 अप्रार्थी नं. 2 से 3 के पिता ने मिलकर वादग्रस्त भूमि को सोसायटी का विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया जहां मौके पर स्कूल चल रहा है मौके पर पूरी आबादी बसी हुई है ऐसे में दिनांक 05.11.2020 या किसी भी दिनांक को इस मद में अंकित घटना घटित होना कतई असम्भ है सारे तथ्य मिलीभगत से वर्णित किये गये है। प्रार्थी का मौके पर कोई भी कब्जा नही है बल्कि मौके पर कब्जा मिन अप्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है। मौके पर मिन अप्रार्थी कब्जे व उपयोग उपभोग में है तथा सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी नं. 4 के पक्ष में है। चूंकि मौके पर प्रार्थी का कब्जा नही होकर मिन अप्रार्थी नं. 4 का कब्जा है तथा मिन अप्रार्थी को पाबन्द किया गया तो मिन अप्रार्थी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति कारिह होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नहीं होगी। विशेष आपत्तियों में अंकित है कि मौके पर पूर्णतया आबादी विकसित हो चुकी है ऐसे में कानूनन धारा 90(क)(8) के तहत एवं धारा 63 काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि कृषि से अकृषि कार्य में आने के कारण खातेदारो के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है इस कारण भी प्रार्थीगण का दावा कानूनन चलने योग्य नही है तथा खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर बहस वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थी संख्या 4 सुनी गई। बहस पर बगौर मनन किया जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजा अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/वादीगण ने वाद[illegible]यात को अपने कब्जे पैतृक अराजी बताते हुये [illegible] आराजियात [illegible] अधिकारी [illegible] घोषणा हेतु प्रस्तुत वाद/अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना [illegible] है। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के दृष्टिकोण से विचार किया जाना है। प्रस्तुत जमाबंदी सवत् 2074 से 2077 मे खसरा नम्बर 317 पर बाबूलाल पुत्र गोपाल हिस्सा 1/2,

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:13:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

रामप्रताप पुत्र गोपाल हिस्सा 1/2 दर्ज है। पत्रावली का मय प्रस्तुत रिकॉर्ड अवलोकन से यह तो प्रतीत हो रहा है कि अप्रार्थी नं. 1 व प्रार्थी नं 1 के पति, प्रार्थी नं. 2 के पिता, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता द्वारा वादग्रस्त आंराजीयात जरिये विक्रय इकरारनामा दिनांक 25.06.1990 एवं 12.08.1995 द्वारा रामराजपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति को विक्रय कर दिया था जिसे तहसीलदार सांगानेर द्वारा भी अपने आदेश में माना हॅं, स्वयं अप्रार्थी नंबर 1 से 3 ने उक्त इकरारनामें को निरस्त करवाने बाबत् सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है जो अभी विचाराधीन है इसके विपरीत अप्रार्थी नंबर 4 ने अपने हक के आंवटन पत्र व गृहकर की रसीदें पेश की है मौके के फोटोग्राफ पेश किये है जिससे यह प्रकट होता है कि मौके पर आबादी बसी हुई है तथा अप्रार्थी नंबर 4 का स्कूल बना हुआ है इसके अलावा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नंबर 2 व 3 के नाम विरासत खुलना कथित कर मूल दावे में घोषणा खातेदारी चाही है जबकि प्रस्तुत जमाबंदी में आज भी मृतक रामप्रताप का ही नाम दर्ज है ऐसे में जब विरासत नामान्तकरण ही अभी तक नही खुला है तो पहले से ही कयास के आधार पर दावा लाना सही प्रतीत नही होता है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण नंबर 1 से 3 की आपसी मिलीभगत प्रकट होती है उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपना प्रथम दृष्टया मामला साबित नही कर पाये है चूंकि मौके पर कब्जा अप्रार्थी नंबर 4 का प्रमाणित है ऐसे में सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी अप्रार्थी नं. 4 के पक्ष में है तथा प्रार्थीगण के खिलाफ है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 07.04.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:13:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner